

प्रेषक,

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

—सह-संयुक्त सचिव,

झारखण्ड, रांची।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक,

पूर्वी क्षेत्रीय समिति

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,

15, नीलकंठ नगर, नयापल्ली,

भुवनेश्वर-751012.

21/10/2011  
रांची, दिनांक

विषय:-

जे0डी० नेशनल बी०एड० कॉलेज, जानुम, अनगढ़ा, रांची को बी०एड० की पढाई हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-6673 दिनांक-25.03.2011 के आलोक में कहना है कि राज्य के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपन्त जे0डी० नेशनल बी०एड० कॉलेज, जानुम, अनगढ़ा, रांची को शिक्षक प्रशिक्षण (बी०एड०) की पढाई प्रारंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है:-

1. विभागीय संकल्प संख्या-402 दिनांक-12.02.2007 की काँडिका 6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप इस संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दिया जायेगा। संस्थान को उपर्युक्त प्रावधान के अनुपालन एवं पूर्णतः स्व वित्तपोषित कार्यक्रम की शर्त के साथ यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

2. महाविद्यालय प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा भविष्य में बी०एड० कॉलेज के संबंध में निर्गत होने वाले सभी निदेश/परिषत्र का अक्षरसः पालन करेंगे।

3. राज्य सरकार का यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र सैद्धान्तिक होगी। महाविद्यालय प्रबंधन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त कर संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात् ही राज्य सरकार की अनुमति से महाविद्यालय में प्रशिक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करेगा।

4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानक के अनुसार प्रत्येक सत्र में शिक्षक के लिए न्यूनतम अर्हता वाले अध्यर्थियों का ही नामांकन करेगा।

5. नामांकन हेतु आवेदन पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित कर राज्य सरकार के शैक्षणिक आरक्षण कोटि के अनुसार प्रत्येक कोटि के मेधा सूची तैयार करेंगे तथा एक प्रतीक्षा सूची तैयार करेंगे तथा इसके आधार पर ही नामांकन किया जायेगा।

6. प्रशिक्षण सत्र के संबंध में महाविद्यालय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित दिशा-निदेश का अक्षरसः अनुपालन करेगा और इसके पश्चात् ही नामांकित एवं अध्ययनरत छात्र परीक्षा में समिलित होने के लिए फार्म भर सकते हैं।

7. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति के संदर्भ में संस्थान की जांच स्वयं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा कराकर संतुष्ट होने के उपरांत ही मान्यता संबंधी कार्रवाई करेंगे।

8. राज्य सरकार को संस्थान द्वारा किसी भी बिन्दु पर अनियमितता के संबंध में यदि प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो राज्य सरकार नियमानुसार संस्थान का अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले सकती है।

विश्वासमाजन,

*Murali Dutt*

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

—सह-संयुक्त सचिव

झारखण्ड, रांची।

झापांक-12/अ.4-60/2008. 2731, रांची, दिनांक 21/10/2011

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के सचिव/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानामगुर प्रमंडल, रांची/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रांची/सचिव/प्राचार्य, जे0डी० नेशनल बी०एड० कॉलेज, जानुम, अनगढ़ा, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Murali Dutt*

निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

—सह-संयुक्त सचिव

झारखण्ड, रांची।